कार्यालय:रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांकफा.15(94)सविरा/बैंक–1/एकमुश्त समझौता/2011पार्ट–1 दिनांक: 27.9.19

प्रबंध संचालक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी
.....अरबन को-आपरेटिव बैंक लि०,..... (समस्त)
.....नागरिक सहकारी बैंक लि०,.....
.....महिला अरबन/नागरिक सहकारी बैंक लि०..... (समस्त)
.....रेल्वे एम्पॅलाईज को-आपरेटिव बैंक लि०..... (समस्त)

विषयः– एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019
प्रसंगः– दी राज. अरबन को–आपेरटिव बैंक्स फेडेरेशन लि0 जयपुर का पत्र क्रमांक फा.8 (10)**RUCBF/101** दिनांक10.07.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत अरबन को–आपरेटिव बैंक्स/ नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों में से अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों की वसूली कर पुनः साख चक में लाने एवं गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से दिनांक 05.07.2019 को ओटीएस जारी की गई थी। इस सन्दर्भ में दी राजस्थान अरबन को–आपरेटिव बैंक्स फेडेरेशन लि0 द्वारा प्रासंगिक पत्र से दिनांक 05.07.2019 एक मुश्त ऋण राहत योजना में 7(ब)संशोधन चाहेनुसार निवेदन करने पर विभाग स्तर से '' एक मुश्त ऋण राहत योजना, 2019 की स्वीकृति 7(ब) में दिनांक 30.07.2019 को संशोधन किया गया था। उक्त के परिपेक्ष्य में पुनः निम्नानुसार संशोधन इस शर्त पर किया जाता है कि संबंधित अरबन को–आपरेटिव बैंक / नागरिक सहकारी बैंक योजना की कियान्विति संस्था के संचालक मण्डल / प्रशासक द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अगीकार करने के पश्चात करेगें:–

क्रमांक	दिनांक 30.07.2019 को जारी ओटीएस में प्रस्तावित	संशोधित
7(ब)	इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले खातों को निर्धारित फार्मूलें से गणना करने पर चाहे जितनी राशि का निर्धारण हो। लेंकिन एक खाते पर अधिकतम 3.00 लाख तक की ही राहत दी जाऐगी । दण्डनीय ब्याज (P.I) व वसूली खर्च R.E.) की राशि पृथक होगी ।	इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले खातों को निर्धारित फार्मूलें से गणना करने पर चाहे जितनी राशि का निर्धारण हो, लेंकिन एक खाते पर अधिकतम 3.00 लाख तक की सीमा समाप्त की जाती है। दण्डनीय ब्याज (P.I) व वसूली खर्च R.E.) की राशि पृथक होगी ।

(डा. नीरज कुमार पवन)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी,दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लि. जयपुर।

रजिस्ट्रार

नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, जयपुर–302005 दूरभाष नं. 0141–2740737, 2740045 (फैक्स)
k.t-so./ucb/b-1/letter/jat inder/2019 ई–मेल आई.डी. reg.coop@rajasthan.gov.in

कार्यालय:रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

कमांकफा.15(94)सविरा/बैंक–1/एकमुश्त समझौता/2011पार्ट–1 दिनांक: 27.9.19

प्रबंध संचालक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी

.....अरबन को-आपरेटिव बैंक लि०,..... (समस्त)

.....नागरिक सहकारी बैंक लि०,.....

.....महिला अरबन/नागरिक सहकारी बैंक लि०..... (समस्त)

.....रेल्वे एम्पॅलाईज को-आपरेटिव बैंक लि०..... (समस्त)

विषयः– एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019

प्रसंगः– दी राज. अरबन को–आपेरटिव बैंक्स फेडेरेशन लि0 जयपुर का पत्र कमांक फा.8 (10)**RUCBF/101** दिनांक10.07.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत अरबन को–आपरेटिव बैंक्स/ नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों में से अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों की वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने एवं गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से दिनांक 05.07.2019 को ओटीएस जारी की गई थी। इस सन्दर्भ में दी राजस्थान अरबन को–आपरेटिव बैंक्स फेडेरेशन लि0 द्वारा प्रासंगिक पत्र से दिनांक 05.07.2019 एक मुश्त ऋण राहत योजना में 7(ब)संशोधन चाहेनुसार निवेदन करने पर विभाग स्तर से " एक मुश्त ऋण राहत योजना, 2019 की स्वीकृति 7(ब) में दिनांक 30.07.2019 को संशोधन किया गया था। उक्त के परिपेक्ष्य में पुनः निम्नानुसार संशोधन इस शर्त पर किया जाता है कि संबंधित अरबन को–आपरेटिव बैंक / नागरिक सहकारी बैंक योजना की कियान्विति संस्था के संचालक मण्डल / प्रशासक द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अगीकार करने के पश्चात करेगें:–

कमांक	दिनांक 30.07.2019 को जारी ओटीएस में प्रस्तावित	संशोधित
7(ब)	इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले खातों को निर्धारित फार्मूलें से गणना करने पर चाहे जितनी राशि का निर्धारण हो। लेंकिन एक खाते पर अधिकतम 3.00 लाख तक की ही राहत दी जाऐगी । दण्डनीय ब्याज (P.I) व वसूली खर्च R.E.) की राशि पृथक होगी ।	इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले खातों को निर्धारित फार्मूलें से गणना करने पर चाहे जितनी राशि का निर्धारण हो, लेंकिन एक खाते पर अधिकतम 3.00 लाख तक की सीमा समाप्त की जाती है। दण्डनीय ब्याज (P.I) व वसूली खर्च R.E.) की राशि पृथक होगी ।

(डा. नीरज कुमार पवन)
रजिस्ट्रार

नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, जयपुर–302005 दूरभाष नं. 0141–2740737, 2740045 (फैक्स)
k.t-so./ucb/b-1/letter/jat inder/2019 ई–मेल आई.डी. reg.coop@rajasthan.gov.in